न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्र. 543–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–1–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी(रहटगांव) जिला हरदा, प्रकरण कमांक 17/अपील/2012–13

.....

1–सुमित रावत आ0 श्री विनोदचन्द्र रावत,
2–विनोदचन्द्र रावत आ0 स्व0श्री प्रभुदयाल रावत,
3–शिशिर रावत आ0 श्री विनोदचन्द्र रावत,
निवासीगण एच.आई.जी.13, विद्यानगर होशंगाबाद

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–प्रवीण कुमार रावत आ0 स्व0श्री प्रभुदयाल रावत(लिटोरिया)
निवासी 29 नर्मदा विहार कालोनी होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद
2–श्रीमती रचनाबाई मिश्रा पुत्री स्व0श्री प्रभुदयाल रावत (लिटोरिया)
पत्नी श्री रामकुमार मिश्रा
निवासी एफ 526 रानी सती नगर निर्माण नगर अजमेर रोड
जयपुर राजस्थान
3–सरपंच ग्राम पंचायत बरूडघाट टिमरनी
जिला हरदा म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 3/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी(रहटगांव) जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–01–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 3 दिनांक 7–4–1999 पर पारित आदेश दिनांक 14–4–1999 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की

गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 17/अपील/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक कमांक 3 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) तथा आदेश 41 नियम 20 सहपठित संहिता की धारा 43 के अन्तर्गत स्वयं तथा सुमित रावत को पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में आदेश पारित कर केवल शिशिर रावत को ही पक्षकार बनाया गया था, अतः दिनांक 23–1–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर सुमित को भी अनावेदक कमांक 5 के रूप में पक्षकार बनाया गया । चूँकि आवेदक कमांक 1 अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अरविंद रावत एवं करूणा रावत को पक्षकार संयोजित करने हेतु सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं, अतः इस संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 23–1–15 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 25–10–2016 को इन निर्देशों के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तर्क लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः प्रकरण के निराकरण में निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी को प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र पर बिना विचार किये प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) आवेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि प्रकरण में अरविंद रावत एवं करणा रावत हितबद्ध पक्षकार नहीं है, जबकि उनका नाम वादग्रस्त भूमि के खसरा कमांक 17/1 रकबा 0.50 एकड भूमि पर संयुक्त भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश सकारण एवं बोलता हुआ आदेश नहीं है, इसलिये निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना नहीं दी गई है, जबकि प्रकरण में सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर सभी हितबद्ध व्यक्तियों पर सूचना पत्र तामील कराते और यदि उनका प्रकरण में कोई Interest नहीं होता है तो वे प्रकरण में अनुपस्थित रहते, परन्तु न्यायिक हित में उन्हें सूचना दी जाना आवश्यक थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को बिना सूचना दिये आदेश पारित करने में अवैधानिकता अथवा अनियमितता की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि पक्षकार बनाये जाने के आवेदन पत्र पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुरूप आदेश पारित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी(रहटगांव) जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–01–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने के लिये अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर